न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी, आई.ए.एस.**

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
पीथाराम पुत्र नोनजी जाति		राजस्थान सरकार जरिए
कलबी निवासी दांतीवास		तहसीलदार भीनमाल
तहसील भीनमाल जिला जालोर		
प्रकरण संख्या अपील		**14/2018**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री सवाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह, राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक:-24.06.2019

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 54/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम पीथाराम पुत्र नोनजी जाति कलबी निवासी दांतीवास तहसील भीनमाल में पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली कर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांटस द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो के अनुसार मौजा दांतीवास के खसरा नंबर 1643 रकबा 0.29 हैक्टर की आराजी अपीलांट की खातेदारी आराजी के पास आई हुई है। खसरा नंबर 1643 रकबा 0.29 हैक्टयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानकर पटबारी हल्का दांतीवास द्वारा तहसीलदार भीनमाल को रिपोर्ट पेश करने पर अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिनांक 29.01.2018 को जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित कर अपीलांट को एक माह की सिविल जेल की सजा से दंडित किया गया है। जबकि धारा 91 आर.एल.आर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही होना निवेदन करते हुये पैमाईश कर सीमा बताने पर कब्जा छोडने को सहमत होने का भी निवेदन किया गया था। अपीलांटन ने अपील में बताया कि निचली अदालत ने बिना सुनवाई एवं बिना पेशी आगे दिए फैसला कर दिया जिससे अपीलांट के अधिकारो पर विपरीत असर पडा है। जिसके कारण फैसला राजस्व नियमों के विरुद्ध है। निचली अदालत ने अपने फैसले में तथ्यों को तोड मरोड कर पेश किया है। अदालत ने अपने निर्णय में पेरा नम्बर 2 में अपीलांट ने अतिक्रमण करना स्वीकार होने की लाईन लिखी है जो अपीलांट द्वारा पैश जवाब के विपरीत हैं अपीलांट ने अपने जवाब में एक भी लाईन अतिक्रमण स्वीकार करने की बात नहीं लिखी है। अपीलांट ने कब्जा हटाने की बात अपने जवाब के पैरा नम्बर 2 में लिखी है, जो अदालत ने जवाब पर बिना गौर किए ही फैसला लिखने में कानूनी भूल की है। अपीलांट ने यहां तक भी कहा है कि मेने कोई दूसरी बार कब्जा नहीं किया है। अपीलांट ने बताया कि उसको सबूत पैश करने का एवं बयान देने का मौका नहीं दिया गया एवं सरकार द्वारा पैश बयान पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया जिसके कारण अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण मौका नहीं मिला। अपीलांट ने अपील में यह भी बताया कि 30.11.2017 के जवाब के बाद आगे की पेशी से अवगत नहीं करवाया गया है। अपीलांट के हस्ताक्षर करना हीं आता है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का द्वारा 17.03.2018 को बताया कि आपके खिलाफ तहसीलदार भीनमाल द्वारा

खिलाफ फैसला किया गया है जिस पर अपीलांट ने अदालत में जाकर फैसले की नकल हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.03.2018 को पैश किया और नकले मिलने पर यह अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलांट ने अपील में लिख कि मेरा सरकारी भूमि पर कब्जा करने का इरादा नहीं है जबकि अदालत ने आदतन अतिक्रमण करने की बात बिना सबूत एवं अपने फैसले में लिखी है जो गलत है जो कि रिकार्ड के अनुसार 2017 से पहले का अतिक्रमण होने का सबूत पत्रावली पर नहीं है। अपीलांट पहले व आज भी कब्जा हटाने को तैयार है। पटवारी हल्का मेरी खातेदारी भूमि के हिस्से की अधिक भूमि पर अतिक्रमण पैमाइश में पाया जाये तो में उसी समय मौके पर पुनः माप करने को तैयार हूँ। जबकि मौके पर वर्तमान सैटलमेन्ट से पहले की माठ बनी हुई है। मैने माठ तोडकर कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। तथा मौके पर ऐसे कोई सबूत मौजूद नहीं है व भविष्य पुनः अतिक्रमण नहीं करने एवं वर्तमान कब्जा है तो में हटाने की किसी भी समय तैयार हूं। दिनांक 20.03.2018 को पटवारी हल्का दांतीवास द्वारा मौतबीरानो के रूबरू अपीलांट का अतिक्रमण मौके पर से हटाया जा चुका है। इसके बावजूद भी सिविल जेल की सजा से दंडित किया जाने के कारण सिविल सजा को माफ करने हेतु यह अपील प्रस्तुत कर रिलिफ चाही गई है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 29.01.2018 को निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में उक्त तथ्यों को दोहराया। बहस में यह भी कहा कि अपीलांट भविष्य में अतिक्रमण न करने का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करने को सहमत है। उपरोक्त आधारों पर सिविल जेल की सजा माफ करने हेतु अनुरोध किया।

रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय पैरोकार द्वारा बहस में कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा संवत् 2073 में अतिक्रमण किया जाने पर बेदखल किया गया था, तत्पश्चात् संवत 2074 में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किया जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 29.01.2018 में एक माह की सिविल जेल की सजा से दंडित किया गया है।मौका फर्द दिनांक 20.03.2018 अनुसार अपीलांट को मोबाईल फोन से सूचना करने पर भी अपीलांट मौके पर उपस्थित नही होने पर पैमाईश कर अपीलांट का अतिक्रमण हटाया गया है। इस प्रकार अपीलांट आदतन अतीक्रमी है बेदखल करने के बाद भी पुनः वादग्रस्त आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा करता रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है अतः अपील अपीलांट खारिज कर निर्णय दिनांक 29.01.2018 को बहाल फरमावे। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2018 को सिविल जेल सजा हेतु वारंट पर स्थगन जारी किया गया था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दु पर भी मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों अनुरुप निष्कर्ष यह है कि अपीलांट का न्यायालय तहसीलदार भीनमाल में प्रस्तुत लिखित जवाब दिनांक 30.11.2017 में लिखा कि "मेरे द्वारा जो कब्जा किया गया था, वो मेने हटा दिया है।" भू.अ. निरीक्षक, पटवारी तथा मौतबीरानो के रूबरून दिनांक 13. 01.2018 को बनाई फर्द मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि गत वर्ष भी कब्जा किया था जो हटाया गया परन्तु आज पुनः कब्जा पाया गया। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29. 01.2018 में स्पष्ट वर्णित है कि संवत 2073 में अपीलांट ने इस खसरे की राजकीय भूमि पर कब्जा किया था जिसपर गत वर्ष मुकदमा नम्बर 49/2017 दर्ज कर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 27.02.2017 द्वारा बेदखली का निर्णय किया गया। अब संवत् 2074 में दुबारा अतिक्रमण करने पर अपीलांट के विरुद्ध मुकदमा संख्या 54/2017 दर्ज कर निर्णय दिनांक 29. 01.2018 में बेदखली की कार्यवाही, जुर्माना तथा दुबारा अतिक्रमण करने के कारण 1 माह के लिए सिविल जेल की सजा का निर्णय दिया गया।

उक्त साक्ष्यों की बिनाय पर यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 1643 रकबा 0.29 हैक्टयर किस्म गै.मु. पायतन, राजकीय भूमि पर संवत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था जिस पर बेदखली की गई तथा दुबार संवत् 2074 में भी अतिक्रमण किया जिस पर बेदखली व जुर्माने के अलावा पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 1 माह की सिविल जेल की सजा का भी निर्णय दिया गया। अपीलांट की तरफ से कभी भी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का उपक्रम नहीं किया गया, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड से यह

परलक्षित होता है कि वह बावजूद सूचना मौके पर से हर मौका निरीक्षण, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, पैमाइश आदि के वक्त अनुपस्थित रहा। यहां तक कि अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की आर्डरशीट अवलोकन से जाहिर हुआ कि वह दिनांक 30.11.2017 की सुनवाई में उपस्थित रहा परन्तु उसके पश्चात की अधिकांश सुनवाईयों में तामिल/सूचना के बावजूद भी अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 15.01.2018 के अनुसार, तहसीलदार स्वयं द्वारा 13.01.2018 को मौका देखने पर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलांट द्वारा 2 वर्षो में बार-बार अतिक्रमण किया तथा कभी भी स्वयं की पहल पर अतिक्रमण नहीं हटाया। अपीलांट द्वारा सिविल कारावास की सजा के निर्णय पश्चात उक्त सजा से बचने के लिए अतिक्रमण हटाने संबंधी शपथ-पत्र देने बाबत कथन तकनिकी बहाना ही दुष्टिगोचर होता है, यहां तक की इस न्यायालय द्वारा सजा बाबत स्थगन देते वक्त अतिक्रमण हटाने का जो प्रमाण पत्र मांगा वह भी पटवारी द्वारा अतिक्रमण स्वयं के स्तर से हटाया गया अपीलांट उपस्थित नहीं रहा।

अत: अपीलान्ट द्वारा ग्राम दांतीवास तहसील भीनमाल के खसरा नम्बर 1643 रकबा 0.2932 हैक्टयर राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन पायतन पर संवत् 2073 में प्रथम बार अतिक्रमण किया जिस पर प्रकरण संख्या 49/2017 निर्णय दिनांक 27.02.2017 किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर दुबार अतिक्रमण किया जिस पर मुकदमा नम्बर 54/2017 निर्णय दिनांक 29.01.2019 किया गया जो अपीलाधीन है उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम व पश्चातवर्ती वर्ष के अतिक्रमण संबंधी धारा 91 एल आर एक्ट के मुकदमें व उनके निर्णय संबंधी वर्णन स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी एवं भू.अभि.निरीक्षक द्वारा मौका फर्द दिनांक 13.01.2018 एवं 20.03.2018 भी मौजूद है जो उक्त अतिक्रमणों को सिद्ध करती है। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.03.2018 को सिविल कारावास पर स्थगन जारी किया गया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भलीभांती सिद्ध है तथा अपीलांट द्वारा सद्भावी रूप से अतिक्रमण स्वयं हटाने का प्रयास करना परीलक्षित नहीं होता। अत: अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तदानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास सजा बाबत पूर्व में जारी स्थगन दिनांक 27.03.2018 किया जाता है।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:53:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: